न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/189

गोपी आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासी कांजरी सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी राज0 मृतक के कायम मुकामान–

1/1 गणेश पुत्र गोपी निवासी काजरी सिलोर
1/2 कान्ति बाई पुत्री स्व0 गोपी निवासी ग्राम भीमगंज तहसील बून्दी
1/3 विमला बाई पुत्री स्व0 गोपी निवासी ग्राम आमली झाड जिला कोटा
1/4 मनभर बाई पुत्री गोपी निवासी कांजरी सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान।

–अपीलांटगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज.

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री गिरधर गोपाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भंवरलाल गूर्जर, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः 28.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 106/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा सख्या 203 रकबा 6.5074 हैक्टेयर, खसरा सख्या 204 रकबा 0.3480 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.8554 हैक्टेयर वाके ग्राम काजरी सिलोर, पटवार हल्का हट्टीपुरा तहसील एव जिला बून्दी राज० में विस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी का सहखातेदार के रूप में 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी की सहखातेदारी की उक्त भूमि 203 व 204 वाके ग्राम कांजरी सिलोर तहसील एव जिला बून्दी पर आने जाने काश्तकारी का सामान लाने ले जाने एवं आवागमन का कोई स्थायी विकल्पीक रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण प्रार्थी को अपने भूमि में काश्त करने एवं आवागमन करने, भूमि की हकाई जुताई करने, फसल काटकर बाजार में ले जाने आदि मे कठीनाईयों का सामाना करना पड रहा है तथा प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त कार्य हेतु ट्रेक्टर भी नही ले जा पा रहा है इसी कारण प्रार्थी अपने खेत की कटी फसल को बाहर भी नही ले जा पाता है वर्तमान में भी प्रार्थी के खेत पर गत सीजन की गरडे की

(9)

अपील संख्या 2024/189

गोपी मृतक जर्ये का. मु. गणेश वगै0 बनाम सरकार

फसल कट कर खेत में पडी हुई है रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 203 व 204 वाके ग्राम कांजरी सिलोर में आने जाने काश्तकारी का सामान लाने ले जाने के लिए भूमि खसरा सख्या 27 वाके ग्राम रघुवीरपुरा एंव खसरा सख्या 207 वाके ग्राम कांजरी सिंलोर के सहारे सहारे ग्राम कांजरी सिलोर एवं ग्राम रघुवीरपुरा के कांकड के मेर से सहारे सहारे पूरब से पश्चिम की ओर आगे जाकर सरकारी सिवायचक भूमि खसरा सख्या 205 व 206 मे से होकर प्रार्थी की भूमि में पहुंचने हेतु 13 फुट चौडे स्थायी रास्ते की प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिए बून्दी चित्तौड मुख्य सड़क से दक्षिण से उत्तरी ओर सरकारी रिकार्डेड रास्ता जिसकी नक्शे में तरमीम हो रही है जो भूमि खसरा सख्या 27 वाके ग्राम रघुवीरपुरा तक नक्शे मे तरमीम हो रहा है वहाँ से प्रार्थी की भूमि खसरा सख्या 203 व 204 वाके ग्राम कांजरी सिलोर में आने जाने काश्तकारी का सामान लाने ले जाने के लिए भूमि खसरा सख्या 27 वाके ग्राम रघुवीरपुरा एंव खसरा संख्या 207 वाके ग्राम कांजरी सिंलोर के सहारे सहारे ग्राम कांजरी सिलोर एवं ग्राम रघुवीरपुरा के काकड के मेर से सहारे सहारे पूरब से पश्चिम की ओर आगे जाकर सरकारी सिवायचक भूमि खसरा सख्या 205 व 206 मे से होकर प्रार्थी की भूमि मे पहुंचने हेतु 13 फुट चौडे स्थायी रास्ते की प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी नियमानुसार उक्त 13 फुट चौडे रास्ते में आने वाली भूमि की नियमानुसार डीएलसी दर न्यायालय के आदेशानुसार जमा करवाने का तैयार है। उक्त प्राथर्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाकर तदानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना भी प्रार्थनीय है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए एंव काश्तकारी का सामान लाने ले जाने के लिए उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है प्रार्थी आवेदित 13 फुट चौडे रास्तें मे आयी भूमि की राशि न्यायालय के आदेशानुसार जमा करने को तत्तपर एंव तैयार है। खसरा सख्या 207 वाके ग्राम कांजरी सिलोर की खातेदार आशा भण्डारी का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थी सख्या 2 लगायत 4 उनके वारिसान है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय से अपने सहखातेदारी की भूमि खसरा सख्या 203 व 204 वाके ग्राम कांजरी सिलोर तहसील एंव जिला बून्दी पर आने जाने, काश्तकारी का सामान लाने ले जाने एंव आवागमन हेतु बून्दी चित्तौड मुख्य सड़क से दक्षिण से उत्तरी ओर सरकारी रिकार्डेड रास्ता जिसकी नक्शे में तरमीम हो रही है जो भूमि खसरा सख्या 27 वाके ग्राम रघुवीरपुरा तक नक्शे मे तरमीम हो रहा है, वहाँ से प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 203 व 204 वाके ग्राम कांजरी सिलोर में आने जाने काश्तकारी का सामान लाने ले जाने के लिए भूमि खसरा सख्या 27 वाके ग्राम रघुवीरपुरा एंव खसरा सख्या 207 वाके ग्राम कांजरी सिंलोर के सहारे सहारे ग्राम कांजरी सिलोर एवं ग्राम रघुवीरपुरा के काकड के मेर से सहारे सहारे पूरब से पश्चिम की ओर आगे जाकर सरकारी सिवायचक भूमि खसरा सख्या 205 व 206 वाके ग्राम कांजरी सिंलोर तहसील एंव जिला बून्दी राज० मे से होकर प्रार्थी की भूमि में पहुंचने हेतु 13 फुट चौडे स्थायी रास्ते की प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी नियमानुसार उक्त 13 फुट चौडे रास्ते में आने वाली भूमि की नियमानुसार डीएलसी दर न्यायालय के आदेशानुसार जमा करवाने का तैयार है। उक्त प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाकर तदानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना भी प्रार्थनीय है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा सख्या 203 व 204 वाके ग्राम कांजरी सिंलोर तहसील एंव जिला बून्दी पर आने जाने, काश्तकारी का सामान लाने ले जाने एंव आवागमन हेतु

कोटा

(10)

अपील संख्या 2024/189
गोपी मृतक जर्ये का. मु. गणेश वगै0 बनाम सरकार

बून्दी चित्तौड मुख्य सड़क से दक्षिण से उत्तरी ओर सरकारी रिकार्डेड रास्ता जिसकी नक्शे में तरमीम हो रही है जो भूमि खसरा सख्या 27 वाके ग्राम रघुवीरपुरा तक नक्शे मे तरमीम हो रहा है वहाँ से प्रार्थी की भूमि खसरा सख्या 203 व 204 वाके ग्राम कांजरी सिलोर में आने जाने काश्तकारी का सामान लाने ले जाने के लिए भूमि खसरा सख्या 27 वाके ग्राम रघुवीरपुरा एंव खसरा सख्या 207 वाके ग्राम कांजरी सिंलोर के सहारे सहारे ग्राम कांजरी सिलोर एवं ग्राम रघुवीरपुरा के काकड के मेर से सहारे सहारे पूरब से पश्चिम की ओर आगे जाकर सरकारी सिवायचक भूमि खसरा सख्या 205 व 206 मे से होकर प्रार्थी की भूमि में पहुंचने हेतु 13 फुट चौडे स्थायी रास्ते को धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत रास्ता दर्ज किया जाकर तदानुसार उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2024 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19 जुलाई 2024 विधि संगत तर्क संगत एंव न्याय संगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्वैच्छाचारी प्रथम दृष्टया परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी ने अपने पत्र कमाक राजस्व/12024/814 दिनांक 20–5–24 से प्रस्तुत अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कार्यालय तहसीलदार साहब बून्दी से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी थी पत्र की पालना में कार्यालय तहसीलदार साहब बून्दी द्वारा दिनांक 29–5–24 को खसरा संख्या 205 व 206 को लेकर रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जिसमें खसरा संख्या 205 की किस्म राजस्व रिकोर्ड में गै०मु०नाला दर्ज होना दर्शाया है तथा यह भी दर्शित किया है कि मौके पर वर्तमान में कोई नाला नहीं निकल रहा है। रिपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खसरा संख्या 205 में कोई जल स्त्रोत नहीं है न ही पानी बहाव में निकास के लिए कोई नाला बना हुआ है। अर्थात खसरा संख्या 205 अन्य भूमियो की तरह समतल समतल कृषि भूमियां सिवायचक है। उक्त वस्तु स्थिति को अधिनस्थ

अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय के ज्ञान में लाने के पश्चात भी मौके पर भौतिक रूप से नाला नहीं होने के पश्चात भी खसरा संख्या 205 पर नाला विस्थित होना मानकर न्याय की हानि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्शित न्यायिक दृष्टान्त अब्दुल रहमान बनाम यूनियन आर्फ इण्डिया का निर्णय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी के कार्यालय से प्रस्तुत वांछित रिपोर्ट दिनांक 29–5–2024 में वर्णित वस्तु स्थिति पर चस्पा नहीं होने के पश्चात भी उक्त न्यायिक विनिश्चक को अवरोध बताकर अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर वैधानिक भूल कर न्याय की हानि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 6/प्रार्थना पत्र/2022 की आदेशिका दिनांक 6–10–23 अवलोकनीय है जिसमें खसरा संख्या 205 व 206 सरकारी भूमि पर चर्तुभुज राजाराम बच्चन व सौभाग आदि ने स्वंय का. अवैधनिक कब्जा होना तथा ताराबन्दी कर रखी होना स्वंय अतिकमी द्वारा कथन किया है ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रार्थी को अतिकमी अवरोधक बने हुये है। अन्यथा पूर्व से खेत की मेरो पर होकर मेरो (रिजेज) पर होकर ही आवागमन जारी रहा है। सिवायचक भूमि खसरा संख्या 205, 206 से निकलने का प्रयास करने पर मारपीट पर आमादा होते है उक्त अतिकमी धन बल बुझबल से युक्त है तहसीलदार बून्दी के ज्ञान में उक्त का अतिकमी होना तारबन्दी करने के पश्चात भी बैदखल नहीं कर सकने के परिणाम स्वरूप ही विवादास्पद स्थिति अस्तित्व में आने के परिणाम स्वरूप ही उक्त खसरा संख्या 205, 206 पर ही स्थाई रास्ते की अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थना की है अन्यथा प्रत्येक काश्तकार को कस्टॅमरी राईटस से प्रत्येक खेत की मेर पर विचरने के अधिकार प्राप्त है।अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर खसरा संख्या 205 व 206 में से वांछित स्थाई रास्ता अपीलांट को दिलाये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन नाले की भूमि में से रास्ता चाहा गया है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। गैर मुमकिन नाले की भूमि में कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित अनुतोष प्रदान किया जाना कूननन संभव नहीं है। अतः अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2024 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 205 की भूमि को गैर मुमकिन नाला होने के आधार पर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होना मानकर प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19. 07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में स्वयं के खाते की भूमि खसरा संख्या 203 व 204 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 205 व 206 की मेड़ पर रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार

अपील प्राधिकारी कोटा

(18)

अपील संख्या 2024/189

गोपी मृतक जर्ये का. मु. गणेश वगै0 बनाम सरकार

प्रश्नगत खसरा नम्बर 205 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर 206 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गै.मु. दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 19.04.2022 में भी प्रश्नगत खसरा नम्बर 205 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड है। हमारे मत में किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अतः प्रश्नगत खसरा नम्बर 205 रकबा 0.17 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि पर रास्ता कायम किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2024 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 205 की भूमि को प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने तथा अब्दुल रहमान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के प्रकरण से प्रभावित होने का अंकन किया है जिससे हम सहमत है। अपीलांट द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि पर रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है अतः अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं होने के कारण प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.07.2024 में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 106/2022 में पारित निर्णय 19.07.2024 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा